1

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..............................से..

जिला–खगड़िया...............................,सा0...,सन्.................

केस का प्रकार:–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विन करने के संबंध में। वाद संख्या:– 166/2017 राज्य बनाम मानसी थाना कांड संख्या:–204/2017

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख–सहि 3.
05.02.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत मानसी थाना में दर्ज कांड संख्या–242/2017, दिनांक 08.12.2016, में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक 318/सी0आर0, दिनांक 20.01.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मानसी का प्रतिवेदनं के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम0एल0 का 62 (बासठ) बोतल एवं 375 एम0 एल0 का 21 (एक्कीस) बोतल विदेशी शराब में से 750 एम0एल0 का 01 बोतल एवं 375 एम0एल0 का 02 बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार पटना को भेजा गया है, तथा शेष 750 एम0एल0 का 61 बोतल एवं 375 एम0एल0 का 19 (उन्नीस) बोतल विदेशी शराब मानसी थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसी थाने के मालखाना में रखी गई 750 एम0एल0 का 61 बोतल एवं 375 एम0एल0 का 19 बोतल कुल–52.875 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रकियों का पालन करते हुए थाना मानसी कांड संख्या–242/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल–52.875 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मानसी /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 35 /विधि, दिनांक 05/02/2018 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मानसी/उत्पाद, अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 05/02/18 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।	